

प्रेस नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 10.04.2024

कूटरचित दस्तावेजों द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन बैनामा कराने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष खजनी के नेतृत्व में 30नि0 विवेक कुमार चतुर्वेदी मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 84/2022 धारा 147,419,420,467,468,471,504,506,120बी भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त जयराम पुत्र मंतू निवासी ग्राम सुरैनी थाना खजनी जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जयराम पुत्र मंतू निवासी ग्राम सुरैनी थाना खजनी जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 84/2022 धारा 147,419,420,467,468,471,504,506,120बी भादवि थाना खजनी जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. 30नि0 विवेक चतुर्वेदी थाना खजनी जनपद गोरखपुर
2. प्रशि030नि0 रजनीश कुमार थाना खजनी जनपद गोरखपुर
3. का0 यादवेश यादव थाना खजनी जनपद गोरखपुर